दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

रि.या.(सि.) सं. 1396/2006

निर्णय की तिथि: 22.05.2008

अखिलेश प्रताप सिंह ... याचिकाकर्ता

द्वारा: श्री प्रदीप के. गौर, अधिवक्ता।

बनाम

महानिदेशक, आई.टी.बी.पी. ... प्रत्यर्थी

द्वारा: सुश्री सोनिया माथुर, अधिवक्ता।

कोरम:
माननीय न्यायमूर्ति श्री संजय किशन कौल
माननीय न्यायमूर्ति श्री मूल चंद गर्ग

1. क्या स्थानीय समाचार पत्र के संवाददाताओं को निर्णय देखने की अनुमति दी जा सकती है? हाँ
2. रिपोर्टर को संदर्भित किया जाना है या नहीं? हाँ
3. क्या निर्णय डाइजेस्ट में प्रकाशित किया जाना चाहिए? हाँ

न्या. संजय किशन कौल (मौखिक)

1. नियम डी.बी.।

2. पक्षकारगण के विद्वान अधिवक्तागण के अनुरोध पर याचिका को अंतिम निपटान हेतु स्वीकार किया जाता है।

3. याचिकाकर्ता दिनांक 19.11.2002 को कॉन्स्टेबल/जीडी के रूप में आईटीबीपी की सेवाओं में नियुक्त हुआ था और प्रत्यर्थी द्वारा उसे इस आधार पर सेवा से हटाने की कार्रवाई से व्यथित है कि उसने

14.12.2002 को चरित्र सत्यापन प्रपत्र भरते समय नामांकन के चरण में मिथ्या जानकारी दी थी।

4. याचिकाकर्ता अपने चाचा की हत्या के लिए श्री हरकेश बहादुर सिंह के विरुद्ध एक हत्या के मामले में साक्षी था। श्री हरकेश बहादुर सिंह ने 30.10.2002 को शिकायत की कि याचिकाकर्ता द्वारा उस पर हत्या का प्रयास किया गया था। उक्त शिकायत किए जाने पर, भा.दं.सं. की धाराओं 307/504/506 के अंतर्गत प्राथमिकी संख्या 315/2002 पुलिस थाना लाल गंज, जिला प्रताप गढ़, उ.प्र. में दर्ज की गई थी। जाँच अधिकारी को मामले की जाँच करने के लिए प्रतिनियुक्त किया गया था और जाँच में, घटनास्थल पर साक्षियों के बयान दर्ज करने के बाद पाया गया कि यह परिवादी ही था जिसने याचिकाकर्ता के विरुद्ध दर्ज हत्या के मामले में बयान न देने के लिए याचिकाकर्ता पर दबाव डालने के उद्देश्य से याचिकाकर्ता के विरुद्ध शिकायत दर्ज कराने के लिए स्वयं पर गोली चलाई और स्वयं को घायल कर लिया था। इस प्रकार, उसी तिथि को समापन रिपोर्ट दायर की गई थी।

5. समापन रिपोर्ट से संतुष्ट न होने पर परिवादी ने आगे की जाँच के लिए पुलिस अधीक्षक को एक अभ्यावेदन दिया और उक्त अनुरोध के अनुसरण में आगे की जाँच की गई। आगे की जाँच में पाया गया कि याचिकाकर्ता का चयन आईटीबीपी में हो चुका है और उसका चरित्र सत्यापन लंबित है और इस प्रकार परिवादी याचिकाकर्ता और उसके परिवार के सदस्यों पर दबाव बनाने पर तुला हुआ था कि वे किसी तरह उसके विरुद्ध बयान न दें ताकि उसे दोषसिद्धि से बचाया जा सके। इस प्रकार, परिवादी द्वारा स्वयं पर एक धोखाधड़ी, मनगढ़ंत और हेरफेर की गई चोट पहुँचाई गई ताकि आपराधिक मामला दर्ज किया जा सके और जाँच अधिकारी ने

मामले की उचित जाँच की। यह रिपोर्ट पुलिस थाना के प्रभारी निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत की गई थी।

6. इस प्रकार, उपरोक्त ने याचिकाकर्ता के संबंध में मामले को समाप्त कर दिया और 19.11.2002 को याचिकाकर्ता नियुक्त हो गया और 14.12.2002 को चरित्र सत्यापन प्रपत्र भरा। याचिकाकर्ता ने स्वाभाविक रूप से निम्नलिखित प्रश्नों के नकारात्मक उत्तर दिए:

> "12. (क) क्या आपको कभी गिरफ़्तार किया गया है, अभियोजन चलाया गया है, अभिरक्षा में रखा गया है या बाध्य किया गया है/जुर्माना लगाया गया है, किसी अपराध के लिए न्यायालय द्वारा दोषी ठहराया गया है या किसी लोक सेवा आयोग द्वारा अपनी परीक्षा/चयन में बैठने से वंचित/अयोग्य घोषित किया गया है या किसी विश्वविद्यालय या किसी अन्य शैक्षिक प्राधिकरण/संस्था द्वारा कोई परीक्षा देने से वंचित/निष्कासित किया गया है?
>
> (ख) क्या इस सत्यापन पुस्तिका को भरते समय आपके विरुद्ध किसी न्यायालय, विश्वविद्यालय या किसी अन्य शैक्षिक प्राधिकरण/संस्था में कोई मामला लंबित है?"

7. हालाँकि, परिवादी ने समापन रिपोर्ट के विरुद्ध मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय में विरोध याचिका दायर की और 26.2.2003 के आदेश के अनुसार मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने याचिकाकर्ता को समन जारी करना उचित समझा क्योंकि प्रथम दृष्टया उन्हें लगा कि विचारण चलाने के लिए सामग्री मौजूद है। अगली तिथि 16.6.2003 तय की गई जब याचिकाकर्ता प्रस्तुत हुआ और विचारण के बाद याचिकाकर्ता को 15.12.2006 के आदेश के अनुसार बरी कर दिया गया।

8. परिवादी हरकेश बहादुर सिंह ने न केवल विरोध याचिका दायर की, बल्कि आईटीबीपी को शिकायत भी की कि याचिकाकर्ता के विरुद्ध एक आपराधिक मामला लंबित है और प्रत्यर्थीगण ने शिकायत के अनुसरण में

कार्रवाई करना उचित समझा। याचिकाकर्ता को 31.3.2004 को कारण बताओ नोटिस दिया गया, जिस पर याचिकाकर्ता ने उत्तर दाखिल किया। याचिकाकर्ता को संबंधित दस्तावेज़ दाखिल करने के लिए 20.5.2004 को एक और कारण बताओ नोटिस जारी किया गया और उसके बाद 12.6.2004 के आदेश के अंतर्गत याचिकाकर्ता की सेवाएँ इस आधार पर समाप्त कर दी गईं कि उसने उपरोक्त स्तंभों/प्रश्नों के विरुद्ध गलत ढंग से नकारात्मक उत्तर दिया था। याचिकाकर्ता ने एक कानूनी अपील दायर की जिसे अपीलीय प्राधिकारी ने 6.9.2005 को खारिज कर दिया। इसके बाद याचिकाकर्ता ने इस न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाया।

9. हमने पक्षकारगण के विद्वान अधिवक्तागण को सुना है। इस प्रस्ताव के बारे में कोई विवाद नहीं है कि यदि याचिकाकर्ता जैसे अभ्यर्थी द्वारा गलत जानकारी दी जाती है तो प्रत्यर्थीगण द्वारा ऐसे व्यक्ति की सेवाएँ समाप्त करना उनके अधिकार में है। इस संबंध में प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता ने केंद्रीय विद्यालय संगठन एवं अन्य बनाम राम रतन यादव (2003) 3 एससीसी 437 में उच्चतम न्यायालय के निर्णयों, रि.या.(सि.) सं. 5213/2000 में इस न्यायालय की खंड पीठ के निर्णय, जिसका शीर्षक गुगन सिंह बनाम महानिदेशक, सीआरपीएफ़ एवं अन्य था, का 28.1.2008 को निर्णय लिया गया तथा रि.या. (सि.) सं. 1446/2003 में इस न्यायालय की खंड पीठ के अन्य निर्णय, जिसका शीर्षक हरनारायण बनाम भारत संघ था, का 12.12.2007 को निर्णय लिया गया, का संदर्भ दिया। वास्तव में, उक्त प्रस्ताव के लिए वास्तव में किसी निर्णय की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि प्रस्ताव स्वयं विवादित नहीं है। विद्वान अधिवक्ता ने इस बात पर भी ज़ोर दिया कि याचिकाकर्ता को बाद में बरी कर दिया जाना गलत

घोषणा को उचित नहीं ठहराएगा। एक बार फिर इस प्रस्ताव के बारे में कोई विवाद नहीं है।

10. विचारणीय प्रश्न केवल यह है कि क्या दिनांक 14.12.2002 को जब याचिकाकर्ता ने चरित्र सत्यापन प्रपत्र भरा था, उस समय यह कहा जा सकता है कि याचिकाकर्ता ने उपरोक्त पंक्तियों/प्रश्नों के संबंध में गलत जानकारी दी थी। उस तिथि तक याचिकाकर्ता को कभी गिरफ़्तार नहीं किया गया, अभिरक्षा में नहीं रखा गया या जुर्माना नहीं लगाया गया। याचिकाकर्ता के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में कोई मामला लंबित नहीं था और न ही याचिकाकर्ता पर अभियोजन चलाया गया। केवल इतना हुआ कि श्री हरकेश बहादुर सिंह द्वारा की गई झूठी शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज की गई (जो स्वाभाविक रूप से दर्ज होनी ही थी) और उसी तिथि 30.10.2002 को समापन रिपोर्ट दाखिल कर दी गई। परिवादी द्वारा पुलिस अधीक्षक को आगे की जाँच के लिए किए गए अनुरोध के परिणामस्वरूप 14.11.2002 को समापन रिपोर्ट की पुनः पुष्टि हुई। इस प्रकार, प्रपत्र भरने की तिथि पर याचिकाकर्ता के विरुद्ध कुछ भी लंबित नहीं था। याचिकाकर्ता को उसके विरुद्ध दर्ज प्राथमिकी के बारे में पता नहीं होगा और किसी भी मामले में प्राथमिकी और कुछ नहीं बल्कि हत्या के मामले में उसके विरुद्ध अभिसाक्ष्य देने वाले व्यक्ति द्वारा लगाए गए आरोपों पर तथ्यात्मक बयान है। जाँच करने पर मामला झूठा पाया गया।

11. जब मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय में समापन रिपोर्ट दाखिल की गई और याचिकाकर्ता द्वारा विरोध याचिका दायर की गई, तभी मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने अपने विवेक से 26.2.2003 को समन जारी करने का निर्णय किया। उक्त तिथि प्रपत्र भरने के बाद की है। याचिकाकर्ता को अपने विरुद्ध किसी मामले के लंबित होने का पता तभी

चला जब उसे 26.2.2003 को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी द्वारा जारी समन मिला, जो 16.6.2003 को वापस करने योग्य था।

12. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए यह कहना कठिन है कि याचिकाकर्ता के विरुद्ध कोई मामला लंबित था या उसने कोई झूठी घोषणा की जिससे प्रत्यर्थीगण को उसकी सेवाएँ समाप्त करने का अवसर मिल गया।

13. इसमें कोई संदेह नहीं है कि याचिकाकर्ता को बाद में बरी कर दिया जाना गलत घोषणा को उचित नहीं ठहराता, लेकिन हम यह उल्लेख करने के लिए बाध्य हैं कि प्रत्यर्थीगण की बदौलत परिवादी (हत्या के मामले में अभियुक्त) अपने प्रयास में सफल हो गया है। उसने पहले एक झूठी शिकायत दर्ज कराई और झूठी शिकायत पर अभियोजन चलाता रहा। पुनः जाँच पर पुलिस थाना के प्रभारी की रिपोर्ट से पता चलता है कि इसका उद्देश्य यह देखना था कि यदि याचिकाकर्ता परिवादी के विरुद्ध हत्या के मामले में साक्षी बनने पर ज़ोर देता है तो उसे आईटीबीपी में भर्ती न किया जाए। यह याचिकाकर्ता का चाचा है जिसकी हत्या हुई थी। मामले के दिए गए तथ्य जो प्रत्यर्थीगण के अधिकारियों के ध्यान में लाए गए थे, उन्हें ऐसा निर्णय लेते समय और भी अधिक सतर्क होना चाहिए था, लेकिन प्रत्यर्थीगण ने याचिकाकर्ता की सेवाओं को समाप्त करने का निर्णय लेते समय सावधानी को नज़रअंदाज़ कर दिया।

14. ऐसे युग में जहाँ साक्षी संरक्षण कार्यक्रम के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, याचिकाकर्ता जैसे साक्षियों को प्रत्यर्थीगण के आचरण के कारण कष्ट उठाना पड़ा है।

15. प्रत्यर्थीगण की अवैध और मनमानी कार्रवाई के कारण याचिकाकर्ता को अनावश्यक रूप से कष्ट उठाना पड़ा है और उसे सभी परिणामी लाभों के साथ सेवा में बहाल किया जाना चाहिए।

16. दिनांक 12.6.2004 और 6.9.2005 के आदेशों को अभिखंडित करते हुए एक रिट जारी की जाती है और याचिकाकर्ता को आज से दो (2) महीने की अवधि के भीतर बकाया वेतन सहित सभी परिणामी लाभों के साथ सेवा में बहाल करने का निर्देश दिया जाता है।

17. मामले के प्रस्तुत तथ्यों को देखते हुए हम प्रत्यर्थीगण पर 5,000.00 रुपये का जुर्माना अधिरोपित करना भी उचित समझते हैं।

18. उपरोक्त शर्तों के अंतर्गत याचिका को अनुमति दी जाती है।

<u>सि.वि. सं. 1213-14/2006</u>

19. याचिका में पारित आदेशों को ध्यान में रखते हुए, आवेदन विचारार्थ नहीं रखे जाते तथा तदनुसार उनका निपटान किया जाता है।

न्या. संजय किशन कौल

मई 22, 2008 न्या. मूल चंद गर्ग

बी'नेश

<u>(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)</u>

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा| समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*